

No. 33-08/2020-NDM-I
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

'C' Wing, 3rd Floor, NDCC-II,
Jai Singh Road, New Delhi,
Dated 27th May, 2020

To

The Chief Secretaries
(All States)

Subject: List of Item and Norms of assistance under State Disaster Response Fund (SDRF) and National Disaster Response Fund (NDRF).

Sir/ Madam,

I am to refer to this Ministry's letter No. 32-7/2014-NDM-I dated 08th April 2015 and letter No. 33-05/2020-NDM-I dated 9th April 2020 on the subject mentioned above and to say that locust control activities, during a notified calamity, has been included in the list of eligible items & norms of assistance under from SDRF and NDRF. In this regard a new entry is added after item (13) under revised list of Item and Norms, as under:

Sl.	Items	Norms of assistance
14	Hiring of vehicles, tractors, with spray equipments for spraying of plant protection chemicals for pest control; hiring of water tankers; and purchase of plant protection chemicals for locust control.	<p>As per the actual cost, based on assessment of need by the State Executive Committee (SEC) and recommended by the Central Team (in case of NDRF).</p> <p>The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring vehicles, tractors with spray equipments for spraying of plant protection chemicals for locust control during a notified natural calamity. However, expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year.</p>

Yours faithfully,


(Sanjeev Kumar Jindal)
Joint Secretary to Government of India
Tel: 23092722

Copy to AS (UT), MHA for making similar provisions for utilization of UT Disaster Response Funds by the Union Territories.

CC for information: PS to HM/ MOS(N)/ HS/ Secretary (Expenditure).

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
पत्रांक:एफ.8()आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020 / ७९०९-५८

जयपुर, दिनांक ०२-६-२०२०

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

गृह मंत्रालय (डिजास्टर मैनेजमेंट डिविजन) भारत सरकार के आदेश क्रमांक 33-08/2020-एनडीएमए-। दिनांक 27.05.2020 के द्वारा डिटडी दल आक्रमण के लिए से टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों यथा वाहनों, ड्रेक्टरों मय स्प्रेयरों, वाहन टेंकरों को किराये पर लेकर संचालन करने तथा पौध संरक्षण रसायनों के क्रय करने हेतु एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ आइटमों की सूची में शामिल कर सहायता हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं।

प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग के पत्रांक 5384 दिनांक 29.05.2020 द्वारा टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों हेतु वित्तीय प्रावधान किये जाने की विशेष आवश्यकता बतायी है। राज्य के 11 सीमावर्ती जिलों (जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, चुरू, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, पाली, सिरोही) हेतु उक्त गतिविधियों पर राशि रु 6.50 लाख प्रति जिला एवं 07 जिलों (जयपुर, सीकर, दौसा, अजमेर, करोली, सवाईमाधोपुर एवं उदयपुर) हेतु राशि रु 5.50 लाख प्रति जिला तथा शेष 15 जिलों हेतु राशि रु 2.35 लाख प्रति जिला के हिसाब से कुल 145.25 लाख रु सम्बन्धित जिला कलक्टर को उपलब्ध करवाई जानी है।

अतः उक्त कार्य हेतु राशि रु 145.25 लाख टिड्डी नियंत्रण हेतु निर्धारित गतिविधियों के लिए संबंधित जिला कलक्टर को राज्य आपदा मोर्चन निधि (SDRF) से हस्तान्तरित किए जाने की एतद द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

(अ) 11 जिलों यथा जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, चुरू, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, पाली, सिरोही हेतु

क्र.सं.	आइटम	आइटम विवरण	मूल्य (राशि रु लाखों में)
1	किराये पर ड्रेक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	10x12 दिवस XRs 2500	3.00
2	किराये पर वाहन टेंकर		0.50
3	पौध संरक्षण रसायन क्रय		3.00
	योग		6.50

रुपये 6.50 लाख X 11 जिलों = 71.50 लाख रु

(ब) 7 जिलों यथा जयपुर, सीकर, दौसा, अजमेर, करोली, सवाईमाधोपुर एवं उदयपुर हेतु

क्र.सं.	आइटम	आइटम विवरण	मूल्य (राशि रु लाखों में)
1	किराये पर ड्रेक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	10x12 दिवस XRs 2500	3.00
2	किराये पर वाहन टेंकर		0.50
3	पौध संरक्षण रसायन क्रय		2.00
	योग		5.50

रुपये 5.5 लाख X 07 जिलों = 38.50 लाख रु

(स) शेष 15 जिलों यथा अलवर, बासंवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तोड़गढ़, धौलपुर, ढूगरपुर, झालावाड़, झुन्झूनू, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं टोंक हेतु

क्र.सं.	आइटम	आइटम विवरण	मूल्य (राशि रु लाखों में)
1	किराये पर ड्रेक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	5x10 दिवस XRs 2500	1.25
2	किराये पर वाहन टेंकर		0.50
4	पौध संरक्षण रसायन क्रय		0.60
	योग		2.35


रुपय 2.35 लाख X 15 जिलों = 35.25 लाख रु

अधिकारी

- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्न बजट मद पर प्रभार्य होगा—
- 2245— प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
 02— बाढ़ चकवात आदि
 114— कृषि लागतों के लिए किसानों को राहत
 (11)— कीट आक्रमण में व्यय
 [01]— [कीट आक्रमण में व्यय]
 12— सहायतार्थ अनुदान (गैर सवेतन) (केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत राशि रूपये 145.25 लाख)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

- 1 उक्त उपकरण/सामग्री की क्रय प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधानों एवं वित्त (जी&टी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.04.2020 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें।
- 2 आवंटित राशि का व्यय सम्बन्धित मदों में ही भारत सरकार द्वारा जारी एस.डी.आर.एफ. नोमर्स एवं आदेश क्रमांक 33–08/2020–एनडीएमए–। दिनांक 27.05.2020 के अनुसार किया जावे।
- 3 उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से उपयोग पश्चात उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, (लेखा एवं हक) जयपुर, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्र क्रमांक 5384 दिनांक 29.05.2020 के क्रम में।
5. समर्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित जिला कलक्टर को बजट आवंटन कराने का श्रम करावें।


संयुक्त शासन सचिव